कार्यालय जनपद न्यायाधीश, फिरोजाबाद

विज्ञप्ति

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि वित्तीय वर्ष 2015-2016 मे दिनांक 05-12-2015 को जनपद न्यायालय में प्रयोग हेतु अलमारी (85 किलो ग्राम की 135 अलमारी),व अन्य सामान क्रय करने हेतु सील बन्द टेण्डर आमंत्रित किया गया था जिस पर बजट प्राप्त न होने के कारण क्रय नही की जा सकी। वर्तमान में जनपद न्यायालय के कार्यालयों में पत्रावलियों की अधिकता को दृष्टिगत रखते हुए वित्तीय वर्ष 2016-2017 (दिनांक 01.04.2016 से दिनांक 31.03.2017) के लिये जनपद न्यायालय फिरोजाबाद में अलमारी (85 किलो ग्राम की 165 अलमारी), व 68 लोहे की रैक (68 लोहे की रैक) क्रय करने हेतु सील बन्द टेण्डर दिनांक 24.07.2016 तक आमंत्रित किये जाते है, जो उसी दिन समय 03:30 बजे क्रय समिति के समक्ष खोले जायेंगे। नियत समय के पश्चात प्राप्त टेण्डरों पर कोई विचार नही किया जायेगा। टेण्डर हेतु धरोहर धनराशि मु0 10000/-रू0 (दस हजार रू0 मात्र) नजारत में जमा करनी होगी,जो टेण्डर स्वीकृत न होने की दशा में उसी दिन अथवा अगले कार्य दिवस में वापस कर दी जायेगी। उक्त सामान का विवरण व टेण्डर की नियम व शर्ते माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद की ऑफिसियल बेवसाइट www.allahabadhighcourt.in तथा शासन की ऑफिसियल बेवसाइट www.information.up.nic.in पर उपलब्ध है। टेण्डर के नियम व शर्ते , नजारत अनुभाग तथा लाइब्रेरी के नोटिस बोर्ड पर भी देखी जा सकती है।

04.07.2016.

(राकेश कुमार)	(पी0के0 जैन)	(आर0पी0 सिंह)
सदस्य, क्रय समिति/	सदस्य, क्रय समिति/	अध्यक्ष, क्रय समिति/
अपर जिला जज कोर्ट सं0-02	अपर जिला जज कोर्ट सं0-03	अपर जिला जज कोर्ट सं0-01
फिरोजाबाद	फिरोजाबाद	फिरोजाबाद

कार्यालय जनपद न्यायाधीश, फिरोजाबाद।

टेण्डर आमंत्रित करने हेतु नियम व शर्तें

1. समस्त माल आपूर्तिकर्ता द्वारा नजारत अनुभाग जजी, फिरोजाबाद में स्वयं अपने व्यय/खर्चे पर पहुँचानी होगी , कोई माल भांडा देय नहीं होगा।

2. टेण्डर में दी गयी दशा के अनुरूप ही सामान की आपूर्ति करनी होगी । सामान की क्वालिटी उत्तम न होने पर भुगतान देय नही होगा।

3. भुगतान माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद से अनुदान प्राप्त होने पर ही किया जायेगा।

4. सामान क्रय करने हेतु दी गयी संख्या घटाने व बढ़ाने का अधिकार जनपद न्यायाधीश फिरोज़ाबाद को होगा।

5. किसी भी टेण्डर को निरस्त करने का अधिकार जिला जज , फिरोजाबाद में निहित है, इसके लिए कारण बताने हेतु जिला जज, फिरोजाबाद वाध्य नही होंगे।

6. किसी भी विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र जनपद न्यायालय, फिरोजाबाद होगा।

04.07.2016.

(राकेश कुमार)	(पी0के0 जैन)	(आर0पी0 सिंह)
सदस्य, क्रय समिति/	सदस्य, क्रय समिति/	अध्यक्ष, क्रय समिति/
अपर जिला जज कोर्ट सं0-02	अपर जिला जज कोर्ट सं0-03	अपर जिला जज कोर्ट सं0-01
फिरोजाबाद	फिरोजाबाद	फिरोजाबाद